

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:-2025/824

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ^{महिलावास} भू.अ.नि. ^{मोकलसर} की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/सम्बुड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा ^{आधार कार्ड, जनाधार, वोट कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड} पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/सम्बुड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/सम्बुड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	हुदराड़ा	135, 136.	बादली देवी पत्नी करन सिंह	वर्षा देवी उर्फ बादली देवी पत्नी करन सिंह
02	नया हुदराड़ा	159, 308		

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक--/राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/31

दिनांक:-16.10.2025

प्रतिलिपि --

1. तहसीलदार सिवाना/सम्बुड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण ^{वर्षा देवी पत्नी करन सिंह} जाति पुरोहित निवासी-हुदराड़ा तहसील सिवाना/सम्बुड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

